

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा० प्रिति शर्मा, प्रा० स्वा० केन्द्र, रामपुर, कैमूर अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:-

उक्त डा० प्रिति शर्मा के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा० प्रिति शर्मा असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर चितरंजन अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए डा० आर० के० सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 होंगे।

डा० प्रिति शर्मा को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 698(9)

/ स्वा०, पटना, दिनांक : 03/07/2018

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी डा० आर० के० सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 698 (9)

/ स्वा०, पटना, दिनांक : 03/07/2018

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 698 (9)

/ स्वा०, पटना, दिनांक : 03/07/2018

प्रतिलिपि: डा० प्रिति शर्मा, प्रा० स्वा० केन्द्र, रामपुर, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

अनुबंध

31

1. नाम — डा० प्रीति शर्मा
2. पदनाम — चिकित्सा पदाधिकारी
3. पदस्थापन स्थान — प्रा० स्वा० केन्द्र, रामपुर, कैमूर
4. वेतनमान —
5. सेवानिवृत्ति —


आरोप

आपके विरुद्ध आरोप है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए आपके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं० 1127(9) दिनांक 22.11.03 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। निबंधित डाक एवं प्रेसविज्ञप्ति द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी आप विभागीय कार्यवाही के क्रम में कभी संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधिगम के प्रमाणित आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करते हुए पुनः अवसर दिया गया। किंतु आपका प्रत्युत्तर अबतक अप्राप्त है।

इस प्रकार आप वर्ष 2002 से आज तक (इस आरोप पत्र तथा संकल्प के निर्गत की तिथि तक) अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि पाँच वर्षों से अधिक है तथा आपके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्तगी का मामला बनता है।

आपका उपर्युक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, अनियमितता एवं आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

जिसके लिए आप दण्ड के भागी हैं।


(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

साक्ष्य तालिका:—

1. संकल्प सं० 1127(9) दिनांक 22.11.03 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख।
2. प्रेस विज्ञप्ति संबंधी प्रेस कतरन।